BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1086 of 2018

IN THE MATTER OF:

NANGARAM DANGI ...APPELLANTS(S)

VERSUS

SECRETARY DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

& FOREST & ORS ...RESPONDENT(S)

INDEX

SL.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS
1.	Action Taken Report Filed by Inspector General of Police, Range-Udaipur, Department of Police, Government of Rajasthan	1 - 23
2.	Proof of Services	24

FILED BY

Sneha. R. I

(PADMALAKSHMI IYENGAR & SNEHA RAVI IYER)
Additional Advocate General/Advocate for the Respondent
State of Rajasthan
OFF: E-306, Lower Ground Floor
East of Kailash
New Delhi-110065
(M):8879780777
EMAIL.ri.sneha@gmail.com

Filed.30.09.2020

2

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(PRINCIPAL BENCH), NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1086 OF 2018

(EARLIER O.A. NO. 140 OF 2014)

IN THE MATTER OF:

NANGARAM DANGI

......APPLICANT

VERSUS

SECRETARY DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FOREST & ORS.

......RESPONDENT

ACTION TAKEN REPORT

In compliance with the orders dated 5th Feb, 2020 and 16th March, 2020 wherein the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has directed the I.G., Udaipur to take action against illegal mining being undertaken in the area of Jaisamand Lake.

Hereunder is the action taken in that regard-

1. In December 2019, two FIRs were registered and during investigation it was found that department officers were being shadowed and a whatsapp group was formed in this regard. It was decided that these persons will be bound down u/s 107, 116(3) CrPC. Process was started on 4th and 12th March and notices were issued to 115 and 140 persons respectively. Out of 255

persons, 160 persons are bound down & for remaining 95 persons summons are reissued.

2. It is further submitted that regular inspections by me and other officers including SP, Addl.SP, Circle Officers and SHOs are being carried out in the area. Also two additional dedicated police mobile units have been deployed exclusively for the Jaisamand catchment area since 14th March 2020.

3. Regular touring was undertaken in the mentioned area. During my inspection dated 28th March 2020, no mining activity was personally observed. However, on 30th March information was received by police that small amount of sand was being carried by a couple of tractors on which two cases were registered by the local PS. The notice boards placed at various places were seen. (Picture enclosed)

4. During an inspection on 3rd May, no mining was personally observed but instructions to increase vigil were given to SP, Udaipur. This resulted in registration of a few cases of transportation of sand by tractor by PS Geengla and PS Kurabad.

5. On 28th May, 2020 two cases were registered in PS Geengla, Udaipur. A visit of the area was done on 29th May and instructions passed on to the officers.

6. A drone survey was conducted by the police on 20th June 2020 on 2 km stretch of river Jhamri, Kharka and Gomti each. On 22nd June 2020, Videography by drone was done at Gomti river again. The height of the drone was 60-200 mtrs. During this sudden videography by drone, no illegal mining was found to being carried out. (copy of report enclosed)

7. During an inspection on 16th July at kharka, utharda, Jagat & Idana villages and 26th July at piladar & jaisamad villages of Jaisamand lake catchment area, no mining was personally observed but instructions to increase vigil were given to SP, Udaipur.

8. Again surprise drone survey was conducted by police & mining department jointly on 08.08.2020 in the Jhamari & Gomati river of Geengla, Dhul ji ka gura, Saradi, Kharka, Idana, Utharda, Basa, Karakali villages area related to jaisamand lake catchment area, no illegal mining was found to being carried out. (copy of report enclosed)

9. Regular Meeting with concerned department i.e. Revenue, Mining & Transport is being carried out and necessary instructions has been given to stop illegal mining of river sand in jaisamand lake catchment area.

10. The Transport department carried out an operation to penalize tractor trolleys operating without number plates and also overloaded vehicles carrying sand with permits. (list enclosed)

11. The Transport department took action for temporary suspension of 18 vehicles Registration that were involved in illegal Bajari Transportation. Further action to cancel registration certificate permanently will be taken as per the provisions of MV Act. (list of cases enclosed)

12. The publicity and strengthening of local information network has resulted in curbing illegal mining almost entirely. Several cases were registered during lockdown period on the information of local villagers and informers. In several of the cases, information was received almost immediately and accused were caught doing

mining in the river bed and transporting not far from it. (list of cases and photographs of seized tractors enclosed)

It is respectfully submitted that the above actions taken in compliance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal vide its orders dated 5th Feb, 2020 and 16th March, 2020 be taken on record. All efforts are being taken to follow the same diligently as well as to stop illegal mining in the area.

Date: 30-9-2020

Place: Rajasthan

13/8/2020

(Binita Thakur)
Inspector General of Police
Range - Udaipur
Department of Police,
Government of Rajasthan

कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , उदयपुर

क्रमांक :– परि/उदय/2021–21/2189 दिनांक :05.08.2020

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(अपराध एवं सतर्कता)
कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस,
उदयपुर रेंज, उदयपुर

NGT file

विषय : अवैध खनन के रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही सम्बन्धित सूचना।
प्रसंग : श्रीमान् का पत्रांक 9687–71 दिनांक :22.07.2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अवैध खनन के रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही निम्नानुसार है–

1. दिनांक 24.02.2020 से 05.08.2020 तक ओवरलोड बजरी परिवहन कर संचालित वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर 12 चालान बनाए गए।
2. अवैध बजरी परिवहन में लिप्त 18 वाहनों के वाहन स्वामियों को दिनांक 13.07.2020 नोटिस जारी किए गए।
3. अवैध बजरी परिवहन में लिप्त 18 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2020 को निलंबन किए गए।
4. बिना नंबर प्लेट के संचालित पाए गए 26 वाहनों के चालान बनाए गए।

सूचना श्रीमान् के समक्ष वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
सादर्।

जिला परिवहन अधिकारी
उदयपुर

कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर

क्रमांक/परि/उदय/2020–21/

दिनांकः 10.07.2020

बिना नम्बर प्लेट के/ओवरलोड बजरी परिवहन कर संचालित वाहनों पर की गई कार्यवाही विवरण

बिना नम्बर प्लेट के संचालित वाहन

कम संख्या	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	चालान कमांक	दिनांक	क्षेत्र
1	RJ27GC-5323	Dumper	154893	03.06.20	प्रतापनगर
2	RJ27GC-0228	Dumper	154892	03.06.20	प्रतापनगर
3	RJ27GC-1924	Dumper	154897	03.06.20	प्रतापनगर
4	RJ27GC-1277	Dumper	154899	03.06.20	प्रतापनगर
5	RJ27GC-3648	Dumper	154898	03.06.20	प्रतापनगर
6	RJ30GA-5819	Dumper	154896	03.06.20	प्रतापनगर
7	RJ14GC-1552	Dumper	154894	03.06.20	प्रतापनगर
8	RJ27GB-3206	Dumper	154895	03.06.20	प्रतापनगर

ओवरलोड बजरी परिवहन कर संचालित वाहन

कम संख्या	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	चालान कमांक	दिनांक	क्षेत्र
1	RJ27GC-1974	Dumper	33544	24.02.20	केवड़ा
2	CH.NO.7454	Dumper	33546	24.02.20	केवड़ा
3	RJ27GC-7403	Dumper	33545	24.02.20	केवड़ा
4	RJ27GC-3539	Dumper	33543	24.02.20	केवड़ा
5	RJ27RB-6625	Tractor	33724	22.02.20	ओड़ा
6	RJ27-RA-6465	Tractor	33787	20.02.20	प्रतापनगर

जिला परिवहन अधिकारी
उदयपुर

CS Scanned with CamScanner

।। कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर (राज.)।

कमाकं दिनांकः–

श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस
उदयपुर रेंज उदयपुर।

विषयः–जससमंद कैचमेन्ट क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिग्रहरण नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण सख्या 140/2014 श्री नगाराम डांगी वनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश अनुसार जयसमंद कैचमेन्ट क्षेत्र में खनिज वजरी के अवैध खनन निर्गमन, परिवहन एवं स्टॉक की प्रभावी रोकथाम हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) उदयपुर एवं वताधिकारी वृत सलूम्बर में नेतृत्व में दिनांक 08.08.2020 को खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ जयसमंद कैचमेंन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस थाना गिंगला के राजस्व गांव गिंगला, धुलजी का गुडा, सराडी, खरका, ईडाणा, उथरदा, वासा, कराकली क्षेत्र में वहने वाली नदियां 1–झामरी नदी 2–गोमती नदी के वहाव क्षेत्र की अचानक ड्रोन से वीड़ियों ग्राफी कराई गयी। ड्रोन से वीड़ियों ग्राफी के दौरान उक्त दोनों नदियों के 2–2 किलो मीटर की दूरी में कुल 04 वीडियोंग्राफी की गयी।

इसी प्रकार दिनांक 09.08.2020 को जयसमंद पाल के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) नदी क्षेत्र में खनिज वजरी के अवैध खनन/निर्गमन/परिवहन एवं स्टॉक की प्रभावी रोकथाम हेतु वृताधिकारी सराडा के नेतृत्व में थानाधिकारी सराडा व खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जयसमन्द की मुख्य पाल के नीचे थाना सराडा के अन्तर्गत जससमन्द पाल व गोमती नदी के गांव पहाडी, वीरपुरा, झाडोल, सल्लाडा क्षेत्र की अचानक ड्रोन द्वारा विड़ियोग्राफी कराई गयी। उक्त क्षेत्र में 5–5 किलोमीटर की दूरी में कुल 24 मीटिन 38 सेकण्ड की वीड़ियोंग्राफी की गयी।

उक्त दोनों क्षैत्रों में ड्रोन विडियोंग्राफी का अवलोकन करने पर पाया गया है कि जयसमंद कैचमेंट एरिया के अन्तर्गत गोमली नदी व झामरी नदी तथा जयसमंद झील के नीचे (डाउन स्ट्रीम) अचानक की गयी विडियोंग्राफी में कोई भी व्यक्ति मशीनरी या वाहन से खनिज वजरी का अवैध खनन/निर्गमन एवं परिवहन करता हुआ नहीं पाया गया है। जयसमंद कैचमेन्ट एरिया में सतत निगरानी जारी है। ड्रोन द्वारा कैचमेन्ट एरिया की विड़ियोंग्राफी सलंग्न अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

(सलंग्न – उपरोक्तानुसार)

भवदीय

10/8

जिला पुलिस अधीक्षक
उदयपुर

9

फर्द विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी, केचमेन्ट एरीया जयसमन्द झील नदी क्षेत्र, पुलिस थाना क्षेत्र गींगला, जिला उदयपुर, मुर्तिबा पुलिस उप अधीक्षक वृत सलुम्बर, जिला उदयपुर (राजस्थान)।

दिनाक 08/08/2020
स्थान– पुलिस थाना गींगला

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 140/2014 श्री नगाराम डांगी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय एन.जी.टी द्वारा पारित आदेश जयसमन्द झील केचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन एव स्टॉक की प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही के क्रम में उच्चाधिकारीयो के निर्देशानुसार ड्रोन ऑपरेटर श्री मनोज कुमार कानि0 नम्बर 1675 एवं श्री भावेश कुमार कानि0 नम्बर 2789 नियुक्त ड्रोन कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन, उदयपुर की सहायता से दिनाक 08/08/2020 को जयसमन्द झील केचमेन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस थाना गींगला के राजस्व गाव गींगला, धुलजी का गुडा, सराडी, खरका, ईडाणा, उथरदा, बासा, कराकली क्षेत्र में बहने वाली नदियां (1) झामरी नदी (2) गोमती नदी के बहाव क्षेत्र की विडियोग्राफी अचानक मुझ वृत्ताधिकारी सलुम्बर व थानाधिकारी गींगला द्वारा माईनिंग विभाग उदयपुर के अधिकारी कमशः श्री जोगाराम देवासी, खनिज कार्य निदेशक द्वितीय, श्री ओमप्रकाश मीणा सर्वेयर, खान एवं भू–विज्ञान विभाग विभाग उदयपुर की उपस्थिती में उनके बताये अनुसार स्थान एवं क्षेत्र में ड्रोन नेत्रा Q2C HD से करवाई गई।

उक्त सभी नदियो के 2–2 कि0मी0 की दुरी में कुल चार विडियो कमशः 02 मिनिट 07 सेकण्ड, 08 मिनिट 17 सेकण्ड, 05 मिनिट 29 सेकण्ड, एवं 27 मिनिट 47 सेकण्ड तक विडियोग्राफी की गई।

ड्रोन IDEA FORGE से मुख्य बिन्दु से 2–2 किलो मीटर तथा Slotted Range 5 से 7 किलोमीटर तक की गई तथा ड्रोन हाईट 60 से 200 मीटर तक उँचाई रही है।

ड्रोन विडियोग्राफी सी.डी. का अवलोकन करने पर पाया गया कि जयसमन्द झील केचमेन्ट एरिया के अन्तर्गत थाना क्षेत्र गींगला की गोमती नदी, झामरी नदी में अचानक की गई विडियोग्राफी मे कोई भी व्यक्ति मशीनरी या वाहन से खनिज बजरी का अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन करता हुआ नही पाया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला को अवैध बजरी खनन, निर्गमन, परिवहन पर लगातार निगरानी रखने की हिदायत की गई।

फर्द हाजा विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी, केचमेन्ट एरीया जयसमन्द झील नदी बहाव क्षेत्र, अन्तर्गत पुलिस थाना गींगला मुर्तिब की गई।

8/8/20
(रतन चांवला, RPS)
पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त सलुम्बर, जिला उदयपुर

फर्द विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी, जयसमन्द झील पाल के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) नदी क्षेत्र, पुलिस थाना क्षेत्र सराड़ा, जिला उदयपुर, मुर्तिबा पुलिस उप अधीक्षक वृत सराड़ा , जिला उदयपुर (राज.)

दिनांक 09/08/2020
स्थान– पुलिस चौकी जयसमन्द

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधिन प्रकरण संख्या 140/2014 श्री नंगाराम डांगी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय एन.जी.टी द्वारा पारित आदेश जयसमन्द झील पाल के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन एवं स्टॉक की प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही के कम में उच्चाधिकारीयों के निर्देशानुसार ड्रोन ऑपरेटर श्री मनोज कुमार कानि० नम्बर 1675 एवं श्री भावेश कानि० नम्बर 2789 नियुक्त ड्रोन कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन उदयपुर की सहायता दिनांक 09/08/2020 को जयसमन्द झील की मुख्य पाल के नीचे थाना सराडा के अन्तर्गत जयसमन्द पाल व गोमती नदी के गांव पहाडी, वीरपुरा, झाडोल, सल्लाड़ा क्षेत्र की विडियोग्राफी अचानक मुझ वृत्ताधिकारी सराड़ा व थानाधिकारी सराड़ा द्वारा माईनिग विभाग उदयपुर के अधिकारी कमशः श्री जोगाराम देवासी, खनिज कार्य निदेशक द्वितीय, श्री ओमप्रकाश मीणा सर्वेयर , खान एवं भू – विज्ञान विभाग विभाग उदयपुर की उपस्थिती में उनके बताये अनुसार स्थान एवं क्षेत्र में ड्रोन नेत्रा V3 से करवाई गई। उक्त क्षेत्र के 5–5 कि० मी० की दुरी में 24 मिनिट 38 सेकण्ड तक विडियोग्राफी की गई। ड्रोन IDEA FORGE से मुख्य बिन्दु से 5–5 किलो मीटर तथा Slotted Range 5-7 किलोमीटर तक की गई तथा ड्रोन हाईट 50 से 250 मीटर तक उँचाई रही है। ड्रोन विडियोग्राफी सी.डी. का अवलोकन करने पर अचानक की गई विडियोग्राफी में कोई भी व्यक्ति मशीनरी या वाहन से खनिज बजरी का अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन करता हुआ नही पाया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सराड़ा को अवैध बजरी खनन, निर्गमन, परिवहन पर लगातार निगरानी रखने की हिदायत की गई ।

फर्द हाजा विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी, जयसमन्द झील पाल के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) नदी क्षेत्र अन्तर्गत पुलिस थाना सराड़ा मुर्तिब की गई।

(ओ०पी० मी०) (Jogaram)

(हीरालाल RPS)
पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त सराड़ा, जिला उदयपुर

11

D.NO. [illegible]
10/07/2020

फर्द विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी केचमेन्ट एरिया जयसमन्द झील जिला उदयपुर।

दिनांक :– 10.07.2020
केम्प ऑफिस उदयपुर

जयसमन्द केचमेन्ट एरिया में अवैध खनन व बजरी के रोकथाम हेतु श्रीमान् के निर्देशानुसार ड्रोन ऑपरेटर 1. श्री मनोज कुमार कानि. नम्बर 1675 नियुक्त ड्रोन कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन, उदयपुर।

2. श्री भावेश कुमार कानि. नम्बर 2789 नियुक्त ड्रोन कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन, उदयपुर।

की सहायता से जयसमन्द केचमेन्ट एरियें में पहुंचकर दिनांक 20. 06.2020 को थाना गींगला के अन्तर्गत केचमेन्ट एरिया जयसमन्द झील में बहने वाली नदियां 1. झामरी नदी गाँव ढोल काकर 2.खरका नदी गाँव खरका 3. गोमती नदी गाँव काड छापर की विडियोग्राफी अचानक थानाधिकारी गींगला व मेरी उपस्थिति में ड्रोन ऑपरेटर द्वारा नेत्रा Q2C HD से करवायी उक्त तीनों नदियों के 2–2 किलोमीटर दूरी में कुल चार विडियों क्रमश 31 मिनिट, 36 मिनिट, 9 मिनिट, 2 मिनिट 30 सैकण्ड तक विडियोग्राफी की गई।

दिनांक 22.06.2020 को वृताधिकारी वृत सराडा, थानाधिकारी सराडा की उपस्थिति में थाना सराडा के अन्तर्गत जयसमन्द पाल व गौमती नदी के गांव पहाडी व वीरपुरा में की गई जहां पर भी वक्त विडोयाग्राफी 17 मिनिट 15 सैकण्ड , 2 मिनिट 17 सैकण्ड की विडियोग्राफी की गई।

ड्रोन IDEA FORGE से मुख्य बिन्दु से 2–2 किलोमीटर तथा slotted range 5.3 किलोमीटर तक की गई तथा ड्रोन हाईट 60 से 200 मीटर तक उँचाई रही है।

विडियोग्राफी का अवलोकन से वक्त विडियोग्राफी जो की अचानक की गई थी तो कोई अवैध बजरी खनन व परिवहन करता हुआ नहीं पाया था फिर भी लगातार निगरानी जारी रहेगी।

मनोजकुमार
कां 1675
भावेश जटिया
कां 2789

(मुकेश कुमार सांखला)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
(ग्रामीण) जिला उदयपुर

05फरवरी, 2020 के बाद से जयसमंद केचमेंट क्षेत्र में अवैध बजरी खनन / परिवहन के सम्बंध में दर्ज प्रकरणों का विवरण

फरवरी 2020

क्र. स.	नामथाना	अवैध बजरी खनन / परिवहन के सम्बंध मेंदर्जप्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	जब्तवाहनों की संख्या	जब्त सामग्री (टन में)	चालान / एफ.आर / पेण्डिग
1.	गींगला	31 / 20 13.02.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3,4 पीडीपी एक्ट	1	—	40 टन बजरी	पेण्डिंग (उच्च न्यायालय से स्टे)
2.	गींगला	37 / 20 20.02.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3,4 पीडीपी एक्ट	1	1 ट्रेक्टर मय ट्रोली	4 टन बजरी	चालान नम्बर23 / 20दिनांक2.02.20
3.	गींगला	38 / 20 22.02.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3,4 पीडीपी एक्ट	2	2 ट्रेक्टर मय ट्रोली	10 टन बजरी	चालान नम्बर 24 / 20 दिनांक2.02.20
4.	कुराबड	13 / 2020 दिनांक 06.02.2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी व नियम 56,60 एमएमसीआर	1	1	6टन बजरी	चलान न 14 / 20 29.02.2020
5.	कुराबड	19 / 2020 दिनांक 14.02.2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी व नियम 56,60 एमएमसीआर	2	2	6टन बजरी	चलान न 8 / 20 27.02.2020
6.	कुराबड	22 / 2020 दिनांक 15.02.2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी व नियम 56,60 एमएमसीआर	1	1	6टन बजरी	चलान न 16 / 20 29.02.2020

मार्च 2020

क्र. स.	नाम थाना	अवैध बजरी खनन / परिवहन के सम्बंध में दर्ज प्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	गिरफ्तारअभियुक्तों की संख्या	जब्तवाहनों की संख्या	जब्तसामग्री (टन में)	चालान / एफ. आर. / पेण्डिग
1.	कुराबड	29 / 2020 02.03.2020	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 21/2020 दिनांक 31-03-2020
2.	कुराबड़	39 / 2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	2	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 23/2020 दिनांक 31-03-2020
3.	कुराबड़	40 / 2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	2	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 24/2020 दिनांक 31-03-2020
4.	कुराबड़	41 / 2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसी आर 2017 के नियम 54 व 60	2	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 32/2020 दिनांक 17-04-2020
5.	कुराबड	42 / 2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट	2	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 33/2020

			1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60				दिनांक 17-04-2020
6.	कुराबड़	43/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	2	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 43/2020 दिनांक 29-04-2020
7.	कुराबड़	44/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	2	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 39/2020 दिनांक 23-04-2020
8.	कुराबड़	45/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 25/2020 दिनांक 31-03-2020
9.	कुराबड़	46/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 44/2020 दिनांक 29-04-2020
10.	कुराबड़	47/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 28/2020 दिनांक 08-04-2020
11.	कुराबड़	48/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 29/2020 दिनांक 08-04-2020
12.	कुराबड़	49/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 30/2020 दिनांक 08-04-2020
13.	कुराबड़	50/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 40/2020 दिनांक 23-04-2020
14.	कुराबड़	51/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	2	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 41/2020 दिनांक 23-04-2020
15.	कुराबड़	52/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 35/2020 दिनांक 23-04-2020
16.	कुराबड़	53/2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	2	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालानन. 36/2020 दिनांक 23-04-2020

17.	कुराबड़	54 / 2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालाननं. 37/2020 दिनांक 23-04-2020
18.	कुराबड़	55 / 2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालाननं. 38/2020 दिनांक 23-04-2020
19.	कुराबड़	56 / 2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालाननं. 31/2020 दिनांक 08-04-2020
20.	कुराबड़	57 / 2020 15.03.19	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	6 टनबजरी	चालाननं. 26/2020 दिनांक 31-03-2020
21.	कुराबड़	60/2020 19.03.2020	379 आईपीसी व 4 व 21 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथाआरएमएमसीआर2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टरमयट्रोली 1	3 टनबजरी	चालाननं. 34/2020 दिनांक 17-04-2020
22.	गींगला	44 / 20दिनांक 04.03.20	379 भादस व 4 / 21 एम.एम.डी.आर. एक्ट	2	1	5 टन बजरी	चालान 27 / 20 23.03.20
23.	गींगला	45 / 20दिनांक 04.03.20	379 भादस व 4 / 21 एम.एम.डी.आर. एक्ट	1	1	5 टन बजरी	चालान 28 / 20 23.03.20
24.	गींगला	51 / 20दिनांक 30.03.20	379 भादस व 4 / 21 एम.एम.डी.आर. एक्ट व 3 पीडीपी एक्ट	2	1	4 टन बजरी	चालान 40 / 20 08.05.20
25.	गींगला	52 / 20दिनांक 30.03.20	379 भादस व 4 / 21 एम.एम.डी.आर. एक्ट व 3 पीडीपी एक्ट	2	1	4 टन बजरी	चालान 41 / 20 08.05.2020
26.	गींगला	20 / 2020दिनांक–05.03.2020	4,21 एम एम डीआर एक्ट व 379 भादस	2	2	15 टनबजरी	चालान 15 / 20 25.02.2020

मई 2020

क्र. स.	नामथाना	अवैध बजरी खनन / परिवहन के सम्बंध मेंदर्जप्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	जब्तवाहनों की संख्या	जब्तसामग्री (टन में)	चालान / एफ. आर. / पेन्डिग
1.	कुराबड	प्रकरण संख्या 61 / 2020दिनांक 06.05.2020	धारा 379 भादस 4,21 एमएमआरडी एक्ट व आरएमएमसीआर के नियम 54,60 2017	1	1 ट्रेक्टर	4 टन बजरी	45/2020 30-05-2020
2.	कुराबड	प्रकरण संख्या 63 / 2020दिनांक 08.05.2020	धारा 379 भादस 4,21 एमएमआरडी एक्ट व आरएमएमसीआर के नियम 54,60 2017	1	1 ट्रेक्टर	6 टन बजरी	47/2020 30-05-2020

3.	कुराबड	प्रकरण संख्या 64 / 2020दिनांक 08.05.2020	धारा 379 भादस 4,21 एमएमआरडी एक्ट व आरएमएमसीआर के नियम 54,60 2017	1	1 ट्रेक्टर 1. डम्पर	6 टन बजरी 25 टन बजरी	48/2020 30-05-2020
4.	कुराबड	प्रकरण संख्या 69 / 2020दिनांक 19.05.2020	धारा 379 भादस 4,21 एमएमआरडी एक्ट व आरएमएमसीआर के नियम 54,60 2017	1	1 ट्रेक्टर	6 टन बजरी	52/2020 30-05-2020
5.	गींगला	61 / 20 02.5.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	2	ट्रेक्टर–1	3 टन बजरी	चालान 47 / 20 दिनांक 22.05.2020
6.	गींगला	63 / 20 4.5.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	1	ट्रेक्टर–1	5 टन बजरी	चालान 46 / 20 दिनांक 19.05.2020
7.	गींगला	67 / 20 14.5.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	0	ट्रेक्टर–1	5 टन बजरी	चालान 68 / 20 दिनांक 30.06.2020
8.	गींगला	71 / 20 28.5.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	1	डम्पर–1	35 टन बजरी	चालान 81 / 20 दिनांक 26.07.2020
9.	गींगला	72 / 20 28.5.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	0	डम्पर–1	खाली	चालान 82 / 20 दिनांक 26.07.2020

जून 2020

क्र. स.	नामथाना	अवैध बजरी खनन / परिवहन के सम्बंध मेंदर्जप्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	गिरफ्तारअभियुक्तों की संख्या	जब्तवाहनों की संख्या	जब्तसामग्री (टन में)	चालान / एफ. आर. / पेण्डिंग
1.	गींगला	81 / 20 दिनांक 18.6.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	1	ट्रेक्टर–1	3 टन बजरी	चार्जशीट नम्बर 64 / 20 दिनंक 29.6.20
2.	गींगला	82 / 20 दिनांक 23.6.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	1	ट्रेक्टर–1	3 टन बजरी	चार्जशीट नम्बर 70 / 20 दिनंक 29.6.20
3.	गींगला	83 / 20 दिनांक 24.6.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	1	डम्पर–1	खाली	चार्जशीट नम्बर 71 / 20 दिनंक 30.6.20
4.	गींगला	84 / 20 दिनांक 25.6.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	2	ट्रेक्टर–1	4 टन बजरी	चार्जशीट नम्बर 72 / 20 दिनंक 30.6.20
5.	गींगला	85 / 20 दिनांक 25.6.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	1	ट्रेक्टर–1	4 टन बजरी	चार्जशीट नम्बर 65 / 20 दिनंक 30.6.20
6.	गींगला	87 / 20 दिनांक 26.6.20	379 भादस. व 4,21 एमएमडीआर एक्ट, 3 पीडीपीपी एक्ट	1	ट्रेक्टर–1	4 टन बजरी	चालान 93 / 20 दिनांक 7.08.2020
7.	फलासिया	72 / 20 दिनांक 06.06.2020	379 आईपीसी, 4. 21 एमएमडीआर एक्ट व आरएमएमसीआर 2017 का नियम 54, 60	02	02	बजरी 8 टन	चार्जशीट नम्बर 53 / 20 दिनंक 29.7.20
8.	कुराबड़	83 / 2020 दिनांक 16.06.2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी एक्ट 1957 व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	01	ट्रेक्टर 01	6 टन बजरी	चालान नं 59 / 20 दिनांक 29.06.2020

16

जुलाई 2020

क्र. स.	नामथाना	अवैध बजरी खनन / परिवहन के सम्बंध में दर्ज प्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	जब्तवाहनों की संख्या	जब्तसामग्री (टन में)	चालान / एफ. आर. / पेण्डिग
1.	कुराबड़	101 / 20 दिनांक 7.7.20	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी एक्ट 1957 व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	1	ट्रेक्टर–1	6 टन बजरी	चार्जशीट नम्बर 80 / 20 दिनांक 31.7.2020

C.A.

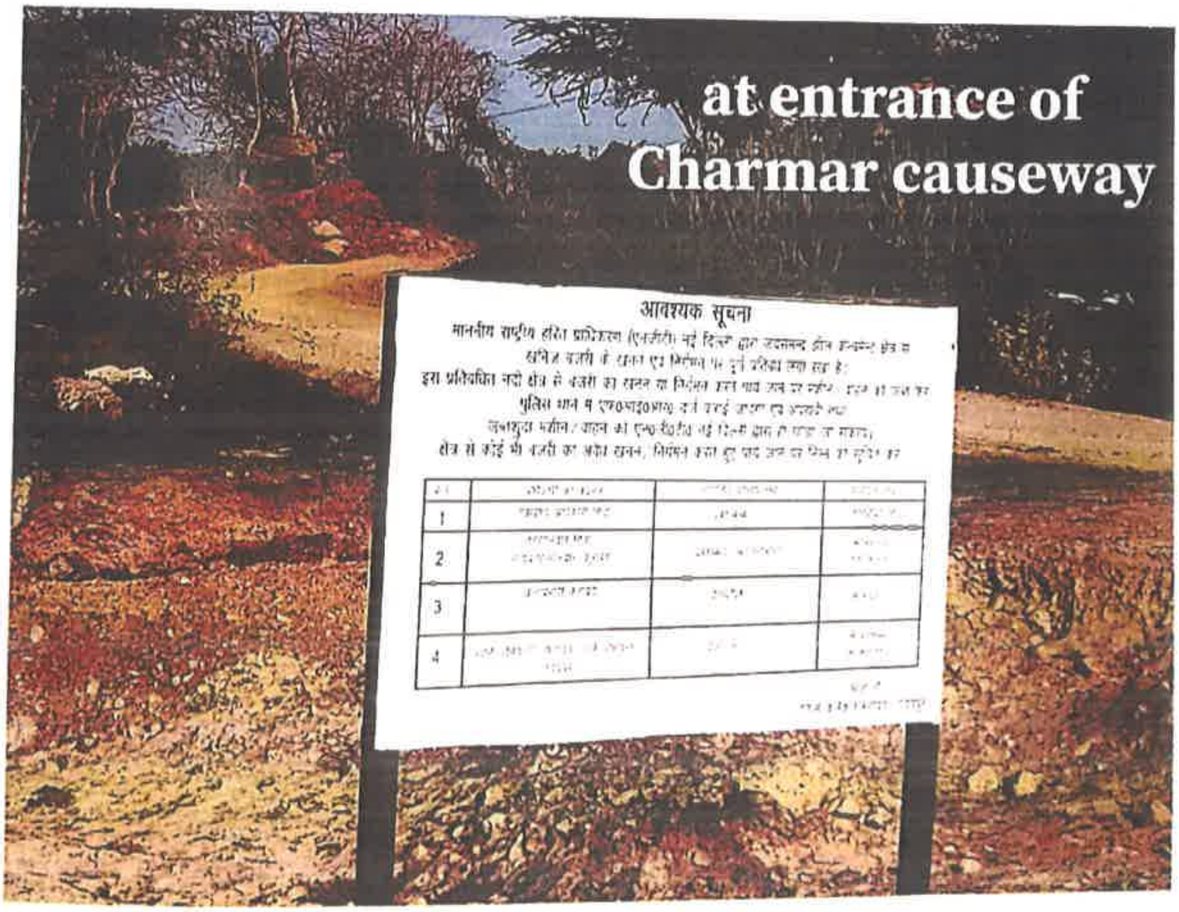

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

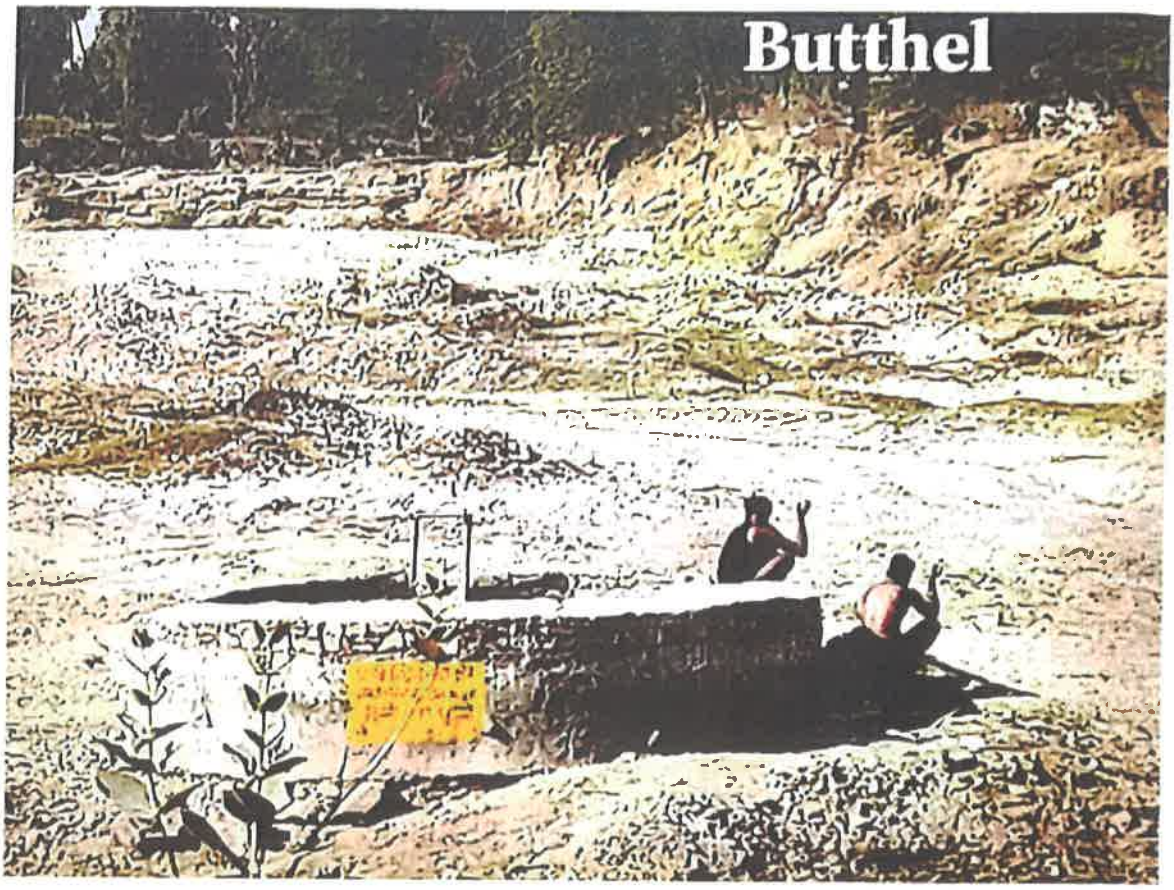

Butthel

Buthel Bridge

Scanned with CamScanner

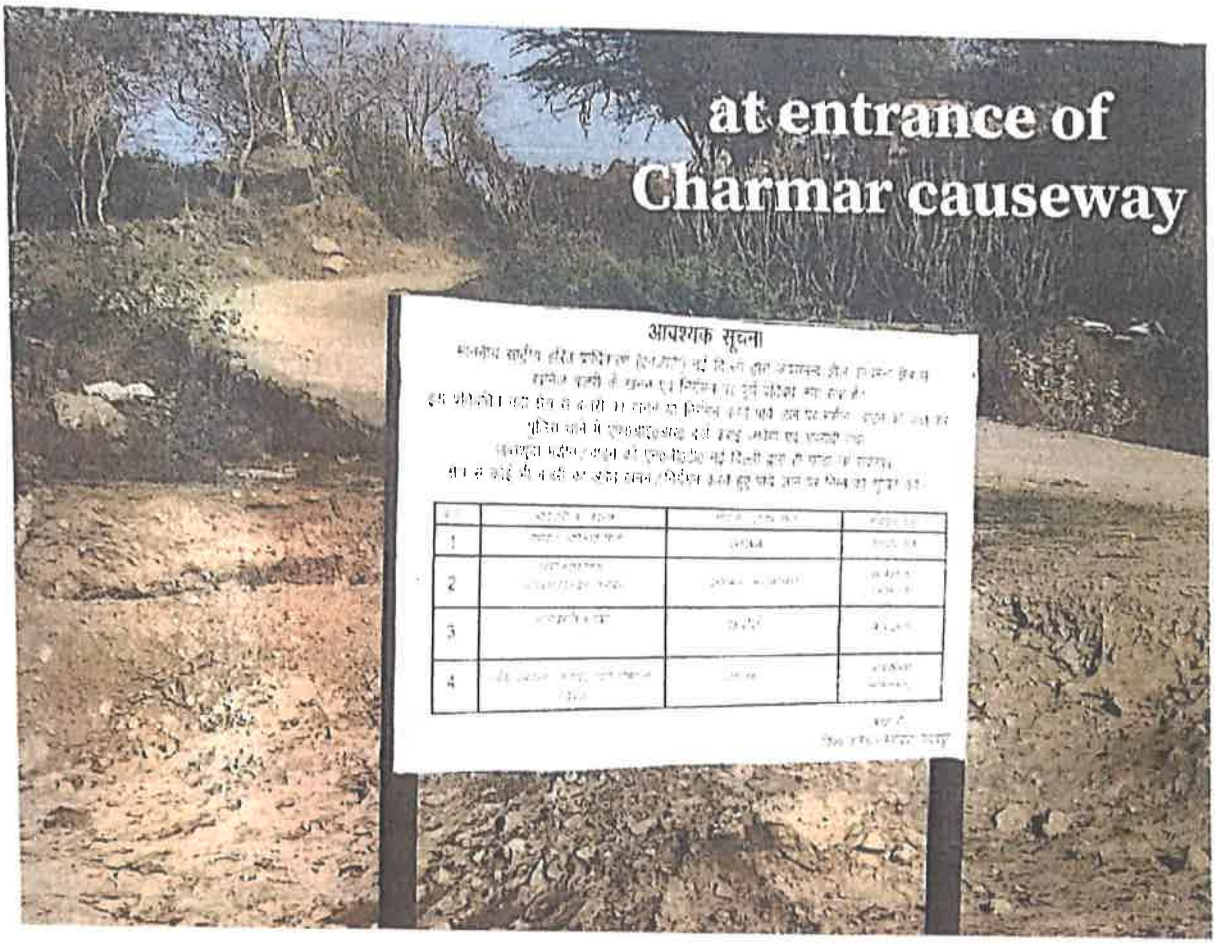

at entrance of Charmar causeway

Charmar

Scanned with CamScanner

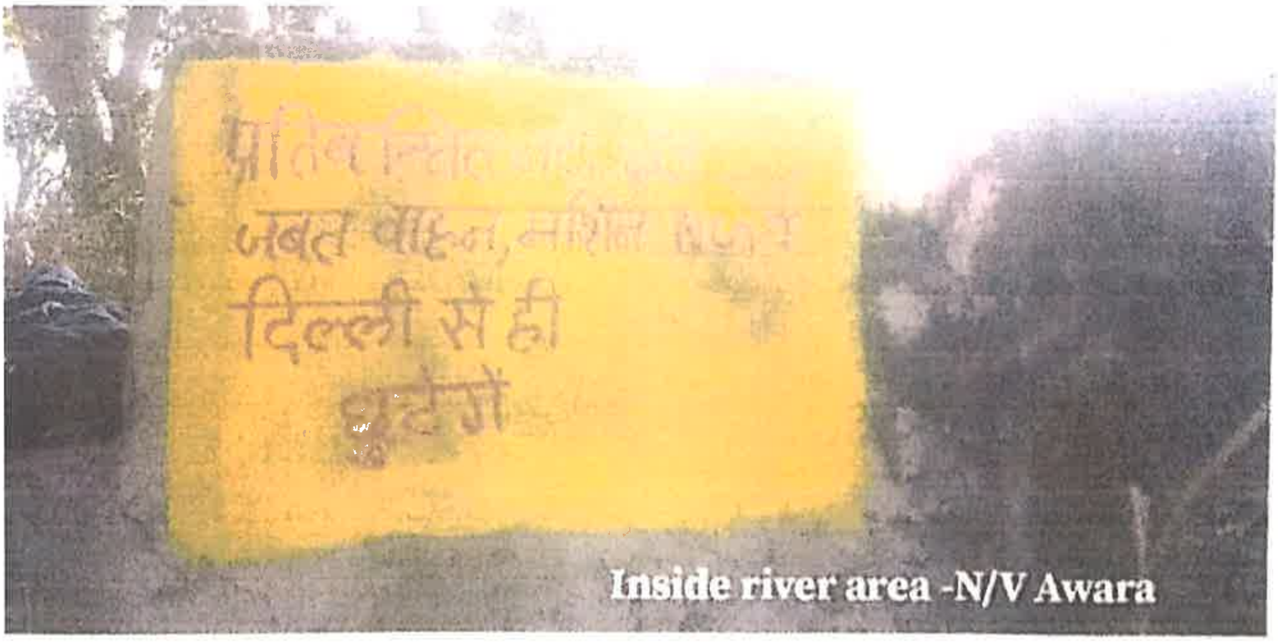

Inside river area -N/V Awara

Scanned with CamScanner

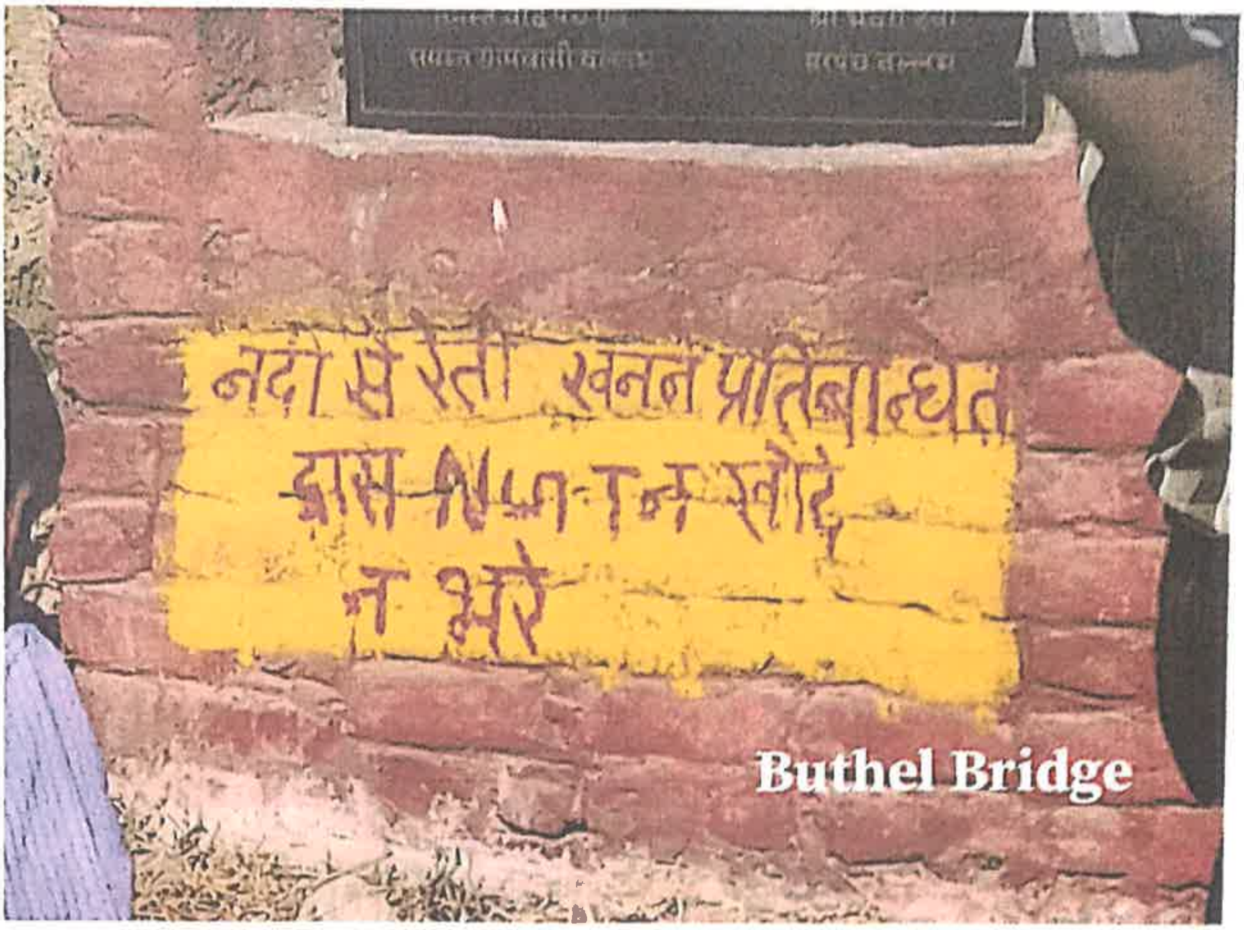

Buthel Bridge

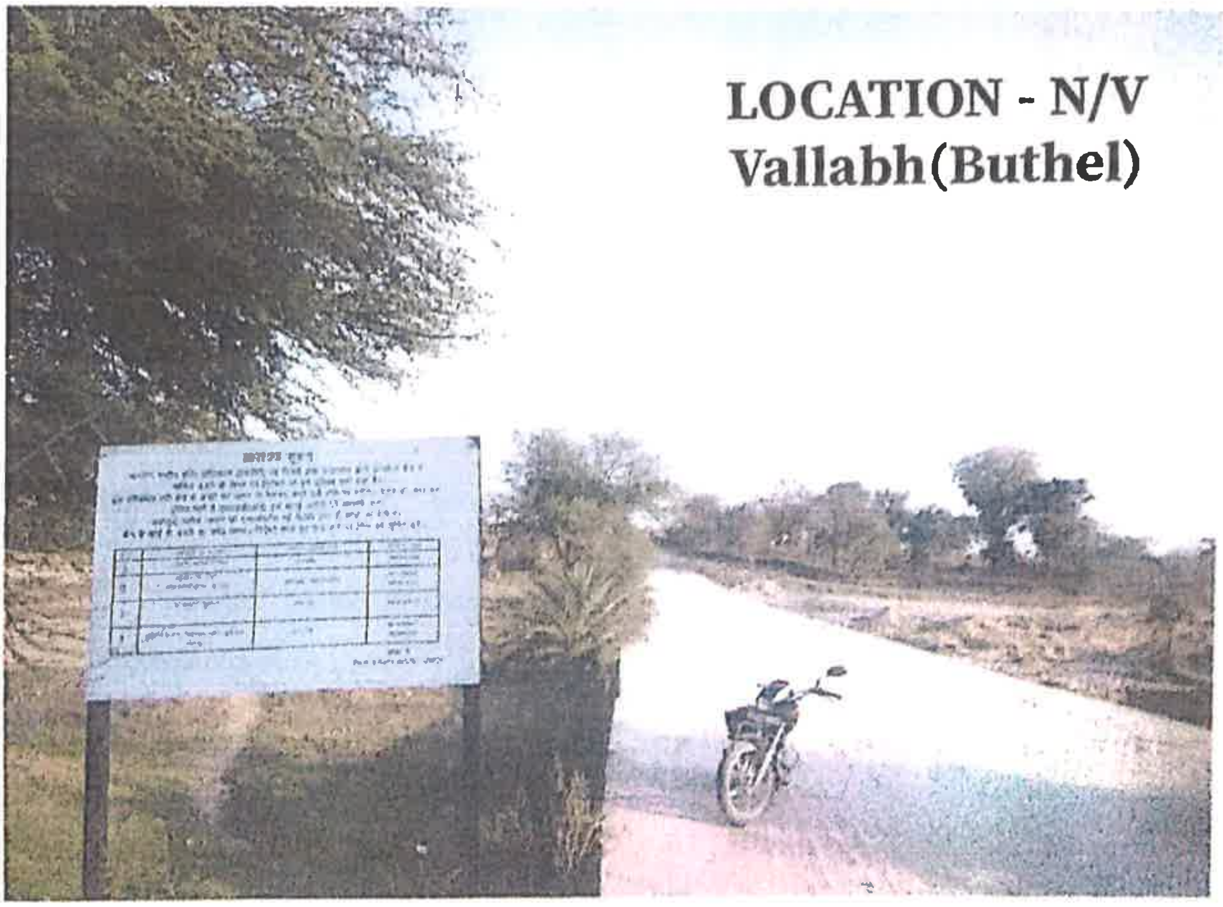

LOCATION - N/V Vallabh(Buthel)

Scanned with CamScanner

Gmail

Hari Krishnan <krishnanpriya1984@gmail.com>

RE: NANGARAM DANGI -VS- SECRETARY DEPARTMENT OF E. & F. & ORS.

1 message

Hari Krishnan <krishnanpriya1984@gmail.com>
To: Katyayni Chaubey <katyaynichaubey986@gmail.com>

Wed, Sep 30, 2020 at 12:19 PM

Please find attached a copy of the Action Taken Report.

--

S. ARIKRISHNAN
Clerk of MS. SNEHA RAVI IYER
ADVOCATE ON RECORD
OFF:E-306, EAST OF KAILASH
NEW DELHI-110 065
(M):9717108758

NANGARAM DANGI.pdf
2043K